मसाला पार्क, जोधपुर, राजस्थान के गोदामों को पट्टे पर देने केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की सूचना

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान के जोधपुर जिले के रामपुरा भाटियाँ में एक मसाला पार्क की स्थापना की है। मसाला पार्क में परिसर की दीवार, आंतरिक सड़कें, पानी व बिजली की आपूर्ति, वेई–ब्रिज, कैंटीन, गोदाम आदि जैसी सुविधाएं हैं। मसाला पार्क में मसालों के प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन हेतु सामान्य अवसंरचना सुविधाएं हैं। पार्क में उपलब्ध प्लोटों को निर्यातकों को अपने खुद की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना केलिए आबंटित किया गया है। पार्क में पहले ही चार इकाइयां स्थापित हैं।

स्पाइसेस बोर्ड, निम्नलिखित शर्तों व निबंधनों के अनुसार पार्क में उपलब्ध पांच गोदामों के प्रचालन केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है:

पात्रता

ई ओ आई प्रस्तुत करने केलिए निम्नलिखित पात्र हैं:

क) मसाला निर्यातक जिसके पास वैध सी आर ई एस (मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र) हो।

ख) मसाला पार्क में स्थापित मसाला प्रसंस्करण इकाइयां जिनके पास वैध सी आर ई एस हो।

ग) मसालों का लेनदेन करनेवाली कृषक उत्पादक कंपनियां जिनके पास कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ज़ारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र हो।

ई एम डी

पात्र आवेदक, ई ओ आई के साथ "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड " के नामे बनाए एरणाकुलम/कोच्ची में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 25,000/– रुपए का समतुल्य बयाना जमा प्रस्तुत करेगा ।

निबंधन व शर्तें

1. गोदाम 'जैसे है जहां है' की स्थिति में पट्टे/किराए पर दिए जाएंगे ।
2. पट्टे पर दिए जानेवाले गोदामों का विवरण नीचे दिया जाता है:
    - गोदाम नंबर – 1 – 7500 वर्ग फ़ीट
    - गोदाम नंबर – 2 – 7500 वर्ग फ़ीट
    - गोदाम नंबर – 3 – 8600 वर्ग फ़ीट
    - गोदाम नंबर – 4 – 8600 वर्ग फ़ीट
    - गोदाम नंबर – 6 – 8600 वर्ग फ़ीट
3. भांडागार को, करार के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि केलिए पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे का किराया, हर वर्ष 10 प्रतिशत की दर पर बढाया जाएगा।
4. हर महीने के पांचवें कार्य दिवस को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड को 18 प्रतिशत जी एस टी सहित पट्टे के किराये का भुगतान किया जाना चाहिए ।
5. गोदाम का इस्तेमाल मुख्य रूप से मसालों व मसाला उत्पादों के भंडारण के लिए किया जाएगा; फिर भी, गैर–मौसम

के दौरान मसालों के साथ अनाज को छोडकर अन्य कृषि जिंसों का भंडारण भी किया जा सकता है।

6. गोदाम अनाज और गैर–कृषि जिंसों के भंडारण केलिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
7. गोदामों को आवेदक को पट्टे पर दिया जाएगा जिन्होंने प्रति माह प्रति वर्ग फीट का उच्चतम किराया कोट किया है। अगर उच्चतम बोलीदाता द्वारा अनुरोध किए गए गोदामों की संख्या 5 से कम है, तो शेष गोदामों को अगले उच्चतम बोलीदाताओं केलिए विचार किया जाएगा बशर्तेकि अगले उच्चतम बोलीदाता, उच्चतम बोलीदाता द्वारा कोट किए किराए का भुगतान करने के लिए सहमत हो।
8. एक से अधिक आवेदकों द्वारा एक ही प्रकार से उच्चतम दर कोट किए जाने के मामले में, उन निर्यातकों को तरजीह दी जएगी जिन्होंने मसाला पार्क, जोधपुर में इकाइयां स्थापित की है।
9. विस्तृत निबंधन व शर्तें, बोर्ड से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों भीतर उच्चतम बोलीदाता द्वारा निष्पादित किए जानेवाले समझौते में शामिल की जाएंगी ।
10. उच्चतम बोलीदाता को सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर लिए डिमांड ड्रैफ़्ट के रूप में तीन महीनों केलिए समतुल्य ब्याज रहित सुरक्षा जमा का भुगतान करना है या पट्टा अवधि की समाप्ति तक केलिए वैध स्पाइसेस बोर्ड के नाम राष्ट्रीकृत या अनुसूचित बैंक से लिए बैंक गैरंटी जमा करना है। बोर्ड को गोदाम हस्तांतरित करते समय सुरक्षा जमा/बैंक गैरंटी वापस किया जाएगा।
11. उच्चतम बोलीदाता समझौते की तारीख से 15 दिनों के भीतर और सुरक्षा जमा की प्राप्ति के बाद गोदाम / गोदामों का कब्जा ले लेंगे। यदि समझौते की तारीख से 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो ईएमडी जब्त कर दी जाएगी।
12. गोदाम का उपयोग केवल उस उद्धेश्य के लिए किया जाएगा जिसकेलिए वह लिया गया है और किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।
13. पट्टा अवधि की समाप्ति से पहले 3 महीने की नोटिस देकर दोनों पक्षों द्वारा समझौते को समाप्त कर दिया जा सकता है।
14. गोदामों को किसी अन्य फ़र्मों केलिए सब–लेट (उप–भाडे पर) नहीं किया जाएगा।
15. स्पाइसेस बोर्ड, गोदाम केलिए भुगतान आधार पर पानी व बिजली प्रदान करेगा।
16. गोदाम में किसी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन / अतिरिक्त निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17. गोदामों का दौरा करने में जो भी इच्छुक है , वे सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 से शाम 5.30 बजे के बीच निम्नलिखित पते पर, प्रादेशिक कार्यालय, स्पाइसेस बोर्ड, जोधपुर से संपर्क करें:

सहायक निदेशक
स्पाइसेस बोर्ड,
प्रादेशिक कार्यालय
सी–65, II एक्स्टेंशन,
कमल नेहरू नगर,
जोधपुर – 342001
टेली : 0291–2636944

18. तत्पर पात्र आवेदक, भाग –1 (ईओआई आवेदन) और भाग –2 (वाणिज्यिक बोली) ऐसा ऊपर लिखे दो अलग–अलग मुहरबंद लिफ़ाफ़ों में भाग –1 और भाग –2 में दिए गए प्रारूप में अपना ईओआई जमा कर सकते हैं और दोनों मुहरबंद लिफ़ाफ़ों को "जोधपुर मसालों पार्क में गोदामों को पट्टे पर देने के लिए ईओआई" ऐसा ऊपर लिखे एक मुहरबंद लिफ़ाफ़े में रखकर 5 नवंबर 2018 को 3.00 बजे या उससे पहले निम्नलिखित पते पर अपना ई ओ आई प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री जोन्सी मणित्तोट्टम
सहायक निदेशक,
प्रादेशिक कार्यालय
सी–65, II एक्स्टेंशन,
कमल नेह्रु नगर,
जोधपुर – 342001

19. ईओआई, स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय, जोधपुर में उसी दिन 3.30 बजे (5.11.2018) को बोलीदाताओं की मौजूदगी में , यदि कोई है तो, खोली जाएगी। पहले, भाग –1 (ईओआई आवेदन) खोली जाएगी। जिन्होंने योग्यता शर्तों को पूरा करने के लिए समर्थक दस्तावेज प्रदान किए हैं और जो ईएमडी जमा कर चुके हैं, केवल उन्हीं पर भाग–2 बोली, यानी वाणिज्यिक बोली, के खोलने पर विचार किया जाएगा।

20. बोर्ड किसी भी / सभी ईओआई आवेदनों को अस्वीकार करने / ईओआई को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार रखता है ।

दिनांक : 16–10–2018
स्थान : कोच्ची

निदेशक (विपणन)

भाग –1

ई ओ आई आवेदन

(अलग मुहरबंद लिफ़ाफ़े में रखना है)

1	आवेदक का नाम व पता	
2	श्रेणी (कृपया टिक करें)	मसाला निर्यातक जिसके पास वैध सी आर ई एस हो/ मसालों का लेनदेन करनेवाली कृषक उत्पादक कंपनियां/मसाला पार्क में स्थापित मसाला प्रसंस्करण इकाइयां जिनके पास वैध सी आर ई एस हो ।
3	समर्थक दस्तावेज़ संलग्न (कृपया टिक करें)	मसाला निर्यातक के मामले में मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र(सी आर ई एस)/ व्यापारी और मसाला पार्कों में स्थापित मसाला प्रसंकरण इकाई। कृषक उत्पादक कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति और मसालों के लेनदेन केलिए कृषक उत्पादक कंपनी हेतु दस्तावेज़ी प्रमाण
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	संपर्क व्यक्ति का ई–मेइल व टेलीफ़ोन नं	
6	गोदाम का नंबर सूचित करते हुए अपेक्षित गोदामों की संख्या	
7	भंडारित करने केलिए प्रस्तावित मसाले/मसाले उत्पाद	
8	कोई अन्य विवरण	

(आवेदक का हस्ताक्षर)

कंपनी का मोहर

स्थान:

तारीख:

भाग – 2

वाणिज्यिक बोली

(अलग मुहरबंद लिफ़ाफ़े में रखना है)

1	प्रति महीना प्रति वर्ग फ़ीट केलिए कोड किए पट्टा किराया	प्रति महीना प्रति वर्ग फ़ीट …............................... रुपए* ।

(* – अतिरिक्त 18% जी एस टी होगी)

(आवेदक का हस्ताक्षर)

कंपनी का मोहर

स्थान:

तारीख: